भारत सरकार **BHARAT SARKAR**
रेल मंत्रालय **MINISTRY OF RAILWAYS**
रेलवे बोर्ड **RAILWAY BOARD**

No. 2005/RS(G)/779/7 **New Delhi, dated:06.05.2015**

The General Manager, All Indian Railways/PUs, NF(C), CORE
The DG/RDSO/Lucknow & NAIR/Vadodara
CAOs, DMW/Patiala, WPO/Patna, COFMOW/NDLS, RCF/RBL/NDLS
All MD/CAO of Railway PSUs, autonomous units

Subject: **Revision of Power for signing of Non-Stock demands/requisitions.**

Ref :
1. **Board's letter No. 2005/RS(G)/779/7 dated 28.5.2007**
2. **Board's letter No. 2005/RS(G)/779/1 dated 16.2.2009**
3. **Board's letter No. 2005/RS(G)/779/1 dated 16.10.2008**

With a view to simplify the procedure and expedite the process of procurement of non-stock items, Board has reviewed the existing procedure for preparation of non-stock demands/requisition. In supersession of earlier instructions on the matter, revised delegation for signing of non-stock demands/requisition, and requirement of essentiality is as under:

S. No	Value of Non-stock requisition *	Level of signing as approving officer in Non-stock requisitions (which inter-alia also certifies essentiality of requirement)
1.	Non-stock requisition upto Rs. 15,000/-	JS officers SS officers in absence of JS officer
2.	Non-stock requisition exceeding Rs. 15,000/- but not exceeding Rs. 75,000/-	SS officer JAG/SG officers in absence of SS officer
3.	Non-stock requisition exceeding Rs. 75,000/- but not exceeding Rs. 3 lakhs	JAG/SG officer **
4.	Non-stock requisition exceeding Rs. 3 lakhs but not exceeding Rs. 15 lakhs	CWM/ADRM/SAG Officer of the user department
5.	Non-stock requisition exceeding Rs. 15 lakhs	PHOD/CHOD of user department in HQ

* Non-stock requisitions will require vetting as per extant instructions.
** In case JAG/SG Officer is not posted then non-stock requisition to be signed by:
- ADRM for divisional requirements
- CWM for workshop requirements
- SAG Officer of the user department for construction and other requirements

This issues with the concurrence of Finance Directorate of Ministry of Railways.

AML

Santosh Mittal
(Santosh Mittal)
Dy. Director Railway Stores (G)I
Railway Board

No. 2005/RS(G)/779/7 **New Delhi, dated : 6.5.2015**

1. FA&CAOs, All Indian Railways & Production Units
2. PCEs, All Indian Railways & PUs, WPO/Patna, RCF/RBL, COFMOW, DMW
3. The ADAI(Railways), New Delhi (with 10 spares copies)
4. The Director of Audit, All Indian Railways

AM

for Financial Commissioner / Railways

No. 2005/RS(G)/779/7 **New Delhi, dated : 6.5.2015**

1. COSs, CMEs, CEEs, CSTEs, All Indian Railways & PUs, RCF/RBL/NDLS, COFMOW, CORE, WPO and RWP/Bela
2. The Directors–
   a) Indian Railway Institute of Sig. Engg. & Telecom, Secunderabad
   b) Indian Railway Institute of Mech. & Elec. Engg., Jamalpur
   c) Indian Railway Institute of Elect. Engg., Nasik
   d) Sr. Prof. (Material Management), NAIR, Vadodara
   e) Indian Railway Institute of Civil Engg., Pune
   f) Indian Railway Institute of Traffic Management, Lucknow
3. Director, Iron & Steel, 3, Koila Ghat Street, Kolkata
4. Executive Director (Stores), RDSO, Lucknow
5. Chief Commissioner, Railway Safety, Lucknow
6. Zonal Railway Training Institute, Sukadia Circle, Udaipur

Santosh Mittal

(Santosh Mittal)
Dy. Dir. Rly. Stores(G)-I
Railway Board

No. 2005/RS(G)/779/7 **New Delhi, dated : 6.5.2015**
Copy to :

1. The Genl. Secy., AIRF, Room No. 248, & NFIR Room No. 256-C, Rail Bhavan
2. The Secy. Genl., IRPOF, Room No. 268, FROA, Room No. 256-D & AIRPFA, Room No. 256-D Rail Bhavan

Santosh Mittal

(Santosh Mittal)
Dy. Dir. Rly. Stores(G)-I
Railway Board

Copy to:- Sr. PPSs / PPS / PS to :

1. MR, MOS(R)
2. CRB, FC, ME, ML, MM, MS, MT, SECY., DG (RHS), DG (RPF)
3. All AMs, Advisors & Executive Directors of Railway Board

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेलवे बोर्ड

सं. 2005/आरएस(जी)/779/7 **नई दिल्ली, दिनांक 6 .05.2014**

महाप्रबंधक, सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां, पूर्वोत्तर सीमा (निर्माण),कोर महानिदेशक, अ.अ.मा.सं. लखनऊ एवं भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी/ वडोदरा
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, डीएमडब्ल्यू/पटियाला डब्ल्यूपीओ/पटना, कॉफमो/नई दिल्ली, आरसीएफ/आरबीएल/नई दिल्ली
सभी प्रबंध निदेशक/ मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, रेलवे के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त इकाइयां

विषय: गैर-स्टॉक मांगो/मांग पत्रों पर हस्ताक्षर करने के लिए शक्तियों में संशोधन।

संदर्भ: 1. बोर्ड का दिनांक 28.5.2007 का पत्र सं. 2005/आरएस (जी)/779/7
2. बोर्ड का दिनांक 16.2.2009 का पत्र सं. 2005/आरएस(जी)/779/1
3. बोर्ड का दिनांक 16.10.2008 का पत्र सं. 2005/आरएस(जी)/779/1

गैर-स्टॉक मदों की खरीद से संबंधित कार्यपद्धति को सरल बनाने और प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने की दृष्टि से बोर्ड ने गैर-स्टॉक मांगो/मांग-पत्रों को तैयार करने के लिए मौजूदा प्रणाली की समीक्षा की है। इस मामले से संबंधित पूर्व अनुदेशों का अधिक्रमण करते हुए गैर-स्टॉक मांगो/मांग-पत्रों और अनिवार्य आवश्यकता पर हस्ताक्षर करने के लिए संशोधित प्रत्यायोजन निम्नानुसार है:

क्रम सं.	**गैर-स्टॉक मांग-पत्रों का मूल्य***	**गैर-स्टॉक मांग-पत्रों के संबंध में अनुमोदनकर्त्ता अधिकारी के रूप में हस्ताक्षर करने वाले का स्तर (जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अनिवार्य आवश्यकता भी प्रमाणित करता हो)**
1.	₹ 15,000/- तक के गैर-स्टॉक मांग-पत्र	जूनियर स्केल के अधिकारी जूनियर स्केल अधिकारी के न होने पर सीनियर स्केल के अधिकारी
2.	गैर-स्टॉक मांग-पत्र जो ₹ 15,000/- से अधिक हो परन्तु ₹ 75,000/- से अधिक न हो	सीनियर स्केल के अधिकारी सीनियर स्केल अधिकारी के न होने पर कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड/सेलेक्शन ग्रेड के अधिकारी
3.	गैर-स्टॉक मांग-पत्र जो ₹ 75,000/- से अधिक हो परन्तु ₹ 3 लाख से अधिक न हो	कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड/सेलेक्शन ग्रेड के अधिकारी**

4.	गैर-स्टॉक मांग-पत्र जो ₹ 3 लाख से अधिक हो परन्तु ₹ 15 लाख से अधिक न हो	उपयोगकर्ता विभाग के सीडब्ल्यूएम/एडीआरएम/वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारी
5.	गैर-स्टॉक मांग-पत्र जो ₹ 15 लाख से अधिक हो	मुख्यालय में उपयोगकर्ता विभाग के पीएचओडी/सीएचओडी

*मौजूदा अनुदेशों के अनुसार गैर-स्टॉक मांग-पत्रों की जांच करनी होगी।
** कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड/सेलेक्शन ग्रेड का अधिकारी तैनात न होने पर गैर-स्टॉक मांग-पत्र पर निम्नलिखित द्वारा हस्ताक्षर किए जाएं:

- मंडल की मांग के लिए अपर मंडल रेल प्रबंधक
- वर्कशॉप की मांग के लिए सीडब्ल्यूएम
- निर्माण तथा अन्य मांगों के लिए उपयोगकर्ता विभाग का वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड का अधिकारी

इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

सन्तोष मित्तल
(संतोष मित्तल)
उप निदेशक रेलवे भंडार (जी)।
रेलवे बोर्ड

सं. 2005/आरएस(जी)/779/7 **नई दिल्ली, दिनांक 6 .05.2015**

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां।
2. पीसीई, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां, डब्ल्यूपीओ/पटना, आरसीएफ/आरबीएल, कॉफमो, डीएमडब्ल्यू
3. एडीएआई (रेलें), नई दिल्ली (10 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
4. निदेशक, लेखा परीक्षा, सभी भारतीय रेलें।

अशोक

कृते वित्त आयुक्त/रेलें

सं. 2005/आरएस(जी)/779/7 **नई दिल्ली, दिनांक 6 .05.2015**

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. सीओएस, सीएमई, सीईई, सीएसटीई, सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां, आरसीएफ/आरबीएल/नई दिल्ली, कॉफमो, कोर, डब्ल्यूपीओ, एवं आरडब्ल्यूपी/बेला

2. निदेशक

क) भारतीय रेल सिगनल इंजीनियरी एवं दूरसंचार संस्थान, सिंकदराबाद

ख) भारतीय रेल यांत्रिक एवं बिज़ली इंजीनियरी संस्थान, जमालपुर

ग) भारतीय रेल बिजली इंजीनियरी संस्थान, नासिक

घ) वरिष्ठ प्रोफेसर (सामग्री प्रबंधन), भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी, वडोदरा

ङ) भारतीय रेल सिविल इंजीनियरी संस्थान, पूना

च) भारतीय रेल यातायात प्रबंधन संस्थान, लखनऊ

3. निदेशक, लौह एवं इस्पात, 3, कोयला घाट स्ट्रीट, कोलकाता

4. कार्यपालक निदेशक (भंडार), अ.अ.मा.सं., लखनऊ

5. मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त, लखनऊ

6. क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान, सुकाडिया सर्कल, उदयपुर

संतोष मित्तल

(संतोष मित्तल)
उप निदेशक रेलवे भंडार (जी)।
रेलवे बोर्ड

सं. 2005/आरएस(जी)/779/7 **नई दिल्ली, दिनांक 06.05.2015**

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरफ, कमरा नं. 248, एवं एनएफआईआर, कमरा नं. 256-सी, रेल भवन।
2. सेक्रेटरी जनरल, इरपोफ, कमरा नं. 268, फ्रोआ, कमरा नं. 256-डी एवं एआईआरपीएफए, कमरा नं. 256-डी, रेल भवन।

संतोष मित्तल

(संतोष मित्तल)
उप निदेशक रेलवे भंडार (जी)।
रेलवे बोर्ड